



2026:AHC:60948

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6401 वर्ष 2026

सोन् भारती

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अनिल कुमार मिश्रा, विजय कुमार शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए., मोनी गुप्ता

न्यायालय सं. - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. कार्यालय की दिनांक 23.03.2026 की रिपोर्ट के अनुसार, सेवा रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
2. निर्देशों के आधार पर राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदन की सूचना 02.02.2026 को सूचनाकर्ता-विपक्षी संख्या 2 और बाल कल्याण समिति, सोनभद्र- विपक्षी संख्या 4 को दी गई है। विद्वान ब्रीफ होल्डर द्वारा प्रस्तुत प्राप्त समर्थन को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। हालांकि, उक्त विपक्षी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है और न ही उनकी ओर से कोई जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अनुपम आनंद, राज्य-विपक्षी के लिए विद्वान ब्रीफ होल्डर, और सुश्री मोनी गुप्ता, विपक्षी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
4. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 96 वर्ष 2025 में धारा 137(2), 64(2)एम, 65(1) बीएनएस और 3/4(2), 5एल/6 पॉक्सो एक्ट, पुलिस स्टेशन पिपरी, जिला सोनभद्र के तहत जमानत पर आवेदक को जमानत पर बढ़ाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना 20.05.2025 को होने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 22.05.2025 को दर्ज की गई थी। देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। पीड़ित मेजर है। ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की उम्र 17 साल थी। यह तर्क दिया जाता है कि आयु निर्धारित करने में त्रुटि की सीमा लगभग दो वर्ष है और इसे इस स्तर पर आवेदक के पक्ष में पढ़ा जाना चाहिए। पीड़िता ने धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयानों में कहा है कि उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया था और आवेदक के साथ वह चुनार गई थी और चुनार में वह आवेदक के साथ रही और उसके साथ संबंध स्थापित किए। आवेदक के खिलाफ जबरन मारपीट का कोई आरोप नहीं है। आवेदक 27.05.2025 से जेल में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर और विपक्षी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन रिकॉर्ड से उपरोक्त प्रस्तुतियों पर संतोषजनक ढंग से विवाद नहीं कर सके।
7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की आयु 17 वर्ष थी। पीड़िता ने धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयानों में कहा है कि उसने स्वेच्छा से

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपना घर छोड़ दिया था और आवेदक के साथ वह चुनार गई थी और चुनार में वह आवेदक के साथ रही और उसके साथ संबंध स्थापित किए। आवेदक के खिलाफ जबरन मारपीट का कोई आरोप नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक लगभग दस महीने तक कैद में रहा है और आरोप पत्र जमा करने के बाद मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, और राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर बढ़ जाता है, तो या तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या मुकदमे में देरी करेगा या गवाह को डराएगा, इसलिए, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।

8. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- सोनू भारती को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो इस शर्त के अधीन है कि वह:

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख को पेश होगा;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 24, 2026

एसकेटी/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"